36

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

राजस्व वाद संख्या 98/2018
नानूराम आदि

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

बनाम

बनवारी आदि

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट आवेदक अप्रार्थी – श्री अमर सिंह शेखावत
ऐडवोकेट अनावेदक प्रार्थी – श्री विजेन्द्र सिंह दूत

–:: आदेश ::–

दिनांक 24–05–2022

प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत कृषि भूमि का वादी ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही उनका कब्जा काश्त है और ना ही वादी ने कब्जा प्राप्त करने की रिलीफ चाही है, जिसके अभाव में घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद–पत्र पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है।

वाद–पत्र में वादी ने दिनांक 16.06.2011 के रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के संबंधमें प्रस्तुत करे नल एण्ड वोईड घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है, लेकिन रजिस्टर्ड दस्तावेज का चैलेज करने व अनुतोष चाहने की कानूनी मियाद तीन साल निर्धारित है, परन्तु वादी ने उक्त वाद–पत्र आठ साल बाद मियाद बाहर पेश किया है। इसलिए उक्त वाद–पत्र मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

वादी ने फैमेली सैटलमेंट के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि में अपना हिस्सा उतरदातागण के पक्ष में हक त्याग किया है और नियमानुसार व विधि अनुसार उप पंजीयक कार्यालय में हक त्याग पत्र पंजीबद्ध करवाये है, इस कारण उक्त हक त्याग नल एण्ड वोईड की परिभाषा में नही आते है तथा इस प्रकार के रजिस्टर्ड दस्तावेजात का वाद–पत्र सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय हो नही है बल्कि सिविल न्यायालय को है, इसलिए क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद–पत्र खारिज होने योग्य है।

उक्त वाद–पत्र के लिये वादाधिकार वादी को कब, कैसे व किसी प्रकार पैदा हुआ है, इसके बारे में वाद–पत्र के अभिवचन में कुछ भी दर्ज नही किया है वादी को वादाधिकार पैदा नही हुआ है, केवल काल्पनिक तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र पेश किया है, जो वादाधिकार के अभाव में खारिज किया जावे। अतः वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किये जाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि वादी द्वारा बिना किसी कानून के भूमि का व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हक त्याग के विरूद्ध वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञ का पेश किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय सूची के प्रावधानों के अनुसार घोषणार्थ का वाद किसी भी समय अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत करने का अधिकारी है।

दिनांक 16.06.2011 को हक त्याग के विरूद्ध [illegible] अधिकारों के विरूद्ध नल एण्ड वोईड किये जाने का वाद प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी [illegible] स्पेशियल एक्ट है, जिसमें हक त्याग का कोई प्रावधान नही है तथा [illegible] की मंशा भी [illegible] है कि हक त्याग विलेख द्वारा भूमि का अन्तकरण का प्रावधान नही है, हक त्याग विलेख काश्तकारी अधिकारों का रिकार्डेड खातेदार [illegible] व्यक्ति को अन्तरण करने का विलेख नही हो सकता, चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रभाव का एक विशेष अधिनियम है। इसलिए दावा मियाद बाहर न होकर घोषणात्मक वाद है तथा हक त्याग विलेख प्रारम्भ से ही शून्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

हक त्याग विलेख वादी के अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य है तथा प्रतिवादी को हक त्याग विलेख से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होता। प्रारम्भ से ही हक त्याग विलेख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में अन्तरण का प्रावधान नही है, चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्पेशियल अधिनियम है। इसलिये नल एण्ड वोईड दस्तावेज की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है।

हक त्याग के विरूद्ध वादी को वादाधिकार हक त्याग के द्वारा न तो खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते तथा वादी को काश्त करने से मना करने के रोज वादाधिकार प्राप्त हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये कथन किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि का वादी ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही उनका कब्जा काश्त है और ना ही वादी ने कब्जा प्राप्त करने की रिलीफ चाही है। वादी ने अपने स्वयं के हिस्से का दिनांक 16.06.2011 के रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 के पक्ष कराया गया है ये नही कहा जा सकता है कि गुमराह करके हक त्याग करवाया हो। वादी द्वारा हक त्याग को नल एण्ड वोईड घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है, लेकिन रजिस्टर्ड दस्तावेज का चैलेज करने व अनुतोष चाहने की कानूनी मियाद तीन साल निर्धारित है, उक्त वाद–पत्र आठ साल बाद मियाद बाहर पेश किया है। वादी ने फैमेली सैटलमेंट के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि में अपना हिस्सा उतरदातागण के पक्ष में हक त्याग किया है और नियमानुसार व विधि अनुसार उप पंजीयक कार्यालय में हक त्याग पत्र पंजीबद्ध करवाये है, इस कारण उक्त हक त्याग नल एण्ड वोईड की परिभाषा में नही आते है तथा इस प्रकार के रजिस्टर्ड दस्तावेजात के वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय होकर बल्कि सिविल न्यायालय को है। वादाधिकार वादी को कब, कैसे व किसी प्रकार पैदा हुआ है, इसके बारे में वाद–पत्र के अभिवचन में कुछ भी दर्ज नही किया है वादी को वादाधिकार पैदा नही हुआ है, केवल काल्पनिक तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र पेश किया है, जो वादाधिकार के अभाव में खारिज किया जावे। अतः वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किये जाने की कृपा करे। वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2008(2) पृष्ठ संख्या 850 पेश किया।

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुनः दोहराया कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 व 63 के अनुसार भी खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते। हक त्याग पत्र दिनांक 16.06.2011 जो राजस्थ्ज्ञान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने व विशेष कानून में हक त्याग का कोई प्रावधान नही होने के कारण से खातेदारी स्थानान्तरण नही होती। खातेदारी गिफ्ट डीड, विक्रय पत्र अथवा दान–पत्र के जरिये ही ट्रांसफर हो सकती है, हक त्याग के द्वारा न तो समाप्त की जा सकती है ना ही गलत कानून के विपरीत अवैध व शून्य हक त्याग से कोई अधिकार व स्वामित्व प्राप्त होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय सूची के प्रावधानों के अनुसार घोषणार्थ का वाद किसी भी समय अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत करने का अधिकारी है। दिनांक 16.06.2011 को हक त्याग के विरूद्ध वादी ने अपने अधिकारों के विरूद्ध नल एण्ड वोईड किये जाने का वाद प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्पेशियल एक्ट है, जिसमें हक त्याग का कोई प्रावधान नही है तथा हक त्याग विलेख काश्तकारी अधिकारों का रिकार्डेड खातेदार अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने का विलेख नही हो सकता, चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अध्यारोही प्रभाव का एक विशेष अधिनियम है। इसलिए दावा मियाद बाहर [illegible] घोषणात्मक वाद है तथा हक त्याग विलेख प्रारम्भ से ही शून्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] 07 नियम 11 सी.पी.सी खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2020(1) पृष्ठ संख्या 518 पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि में वादी खातेदार काश्तकार नही है। वादी ने अपने स्वयं के हिस्से का दिनांक 16.06.2011 के रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र कराया है जो नियमानुसार व विधि अनुसार उप पंजीयक कार्यालय में हक त्याग पत्र पंजीबद्ध हुआ है।

ए.सी.ई.एम. (कार्य.) नवलगढ़

इस प्रकार हक त्याग नल एण्ड वोईड की परिभाषा में नही आता है। वादी द्वारा हक त्याग को नल एण्ड वोईड घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। रजिस्टर्ड दस्तावेजात के वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय होकर बल्कि सिविल न्यायालय को है। वादाधिकार वादी द्वारा वादाधिकार के संबंध में वाद–पत्र के अभिवचन में अंकित नही किया है। आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दाशओं में नामंजूर कर दिया जायेगा:–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वकील अप्रार्थी (वादी) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त वाद पर चस्पा नही होते हैं। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत हक त्याग रजिस्टर्ड दस्तावेज है। प्रश्नगत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय का है। इस प्रकार उक्त वाद सिविल नेचर का होने से न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में नही है। फलस्वरूप प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र अं.धारा 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़, जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested

39

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा सं0:– **142/20178** (नानूराम बनाम बनवारी आदि)

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **24.05.2022** निर्णय अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी.पी.सी. स्वीकार होने के फलस्वरूप वादी का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **24.05.2022** को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	6.00
कुल	10.00		8.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested